# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 306/2025

कृष्ण पुत्र बलबीर, निवासी ग्राम खटकड़, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं ( राज0 )

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढ़ागौड़जी, तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं।

——रेस्पोडेन्ट

———

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांकित 25.06.2025 न्यायालय तहसीलदार तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम कृष्ण अ0धारा0 91 एल0आर0 एक्ट मु0नं0 116/2025

———

उपस्थित :—

1. श्री महिपाल सिंह कपूरिया, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

**आदेश**

दिनांक 17.03.2026

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, गुढागौडजी के आदेश दिनांक 25.06.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं ने अपने निर्णय दिनांकित 25.06.2025 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बरान 1207/179 रकबा 36.80 है0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह में से 0.02 वाके ग्राम खटकड़ पटवार हल्का केड में से अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु व 100 रुपये मात्र बतौर शास्ति जुर्माना आरोपित कर निर्णय पारित किया था जिसके विरुद्ध अपीलान्ट ये अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है कि अदालत मातहत तहसीलदार तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 25.06.2025 विरुद्ध कानून एवं पत्रावली है। उक्त प्रकरण न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में दिनांक 04.03.2025 को दर्ज हुआ था जिसके मु0नं0 232/2025 दर्ज हुए। तत्पश्चात उक्त पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 14.05.2025 की पालना में कार्य क्षेत्र विभाजन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में स्थानांतरित हो गई है। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में तारीख पेशी दिनांक 24.04.2025 वास्ते तामिल हेतु नियत थी जिसमें आगामी तारीख दिनांक 15.05.2025 नियत की गई। तत्पश्चात पत्रावली योग्य अदालत मातहत में अन्तरित होने के पश्चात तारीख पेशी दिनांक 15.05.2025 को आगामी पेशी 19.05.2025 नियत की गई परन्तु न्यायालय तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में पत्रावली दिनांक 29.05.2025 को दर्ज हुई। इस बाबत् न्यायालय तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई और उसी दिन पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 25.06.2025 आदेश हेतु नियत की गई जिसके बाद प्रकरण में दिनांक 25.06.2025 को अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सबूत पेश करने हेतु अवसर दिये व बिना अपीलान्ट की हल्फीया साक्ष्य लेखबद्ध कर अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में अपीलान्ट को सुने बिना दिनांक 25.06.2025 अपीलान्ट के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्ट न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गये। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में किस खसरा नम्बर से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किया है का उल्लेख अपने निर्णय

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

के अन्तिम पैरा में नहीं किया गया है तथा आदेश में यह दर्ज किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया है जो बोलता हुआ जजमेंट नहीं है इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 25.06.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में यह भी ये दर्ज नहीं है कि गैर सायल द्वारा कितनी लम्बाई चौड़ाई में अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ मौके का नक्शा भी संलग्न नहीं है और चारों दिशाओं की सीमा अंकित नहीं व ना ही मौके का आसा पास अंकित है। उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी कर गलत रूप से निर्णय जैर बहस पारित किया गया है। दिनांक 25.06.2025 को अपीलान्ट को बिना सुरे ही अपीलान्ट के विरुद्ध एपक्षीय उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए भी अदालत मातहत द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है। कयोंकि अपीलान्ट न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गया है। उक्त आराजीयात खसरा नम्बरान 1207/179 रकबा 36.80 है0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह है जिन पर अपीलान्ट ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण करना बताया गया है वह भूमि खसरा नं0 182 की भूमि है जो खसरा नं0 1207/179 के पास स्थित है जिस पर अपीलान्ट ने पुख्ता निर्माण कर रखा है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नं0 182 के खातेदार से भूमि क्रय कर पुख्ता निर्माण किया है। इस प्रकार अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है। उक्त मामला अपीलान्ट/गैरसायल के हक में नियमन का है। इसके बावजूद अदालत मातहत ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 25.06.2025 के द्वारा अपीलान्ट/गैरसायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 25.06.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्ट गैर सायल के हक में बखूबी नियमन का मामला होने के बावजूद अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय झुंझुनूं की नियमन एवं आवंटन समिति के समक्ष भेजकर उक्त आराजीयात का नियमन बहक अपीलान्ट किये जाने हेतु सिफारिश नहीं कर व उक्त बेदखलीयाबी का आदेश पारित कर अदालत मातहत ने अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत के द्वारा पारित उक्त निर्णय मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने भी उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 25.06.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का के हल्फीया साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की अगर पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्ट को गैर सायलान अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से जिरह करके अपने केस को साबित करते परन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट को उनके हक में अदालत मातहत में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 25.06.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्ट को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांकित 25.06.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाल टाईप का निर्णय पारित कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाकर अदालत मातहत तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम कृष्ण किस्म मुकदमा 91 एल0आर0 एक्ट मुकदमा नं0 116/2025 में पारित निर्णय दिनांकित 25.06.2025 को मय खर्चा खारिज फरमावें व वादग्रस्त आराजियात का नियमन अपीलान्ट के हक में किया जाना फरमावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में दिनांक 04.03.2025 को दर्ज हुआ था जिसके मु0नं0 232/2025 दर्ज हुए। तत्पश्चात उक्त पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 14.05.2025 की पालना में कार्य क्षेत्र विभाजन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में स्थानांतरित हो गई है। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में तारीख पेशी दिनांक 24.04.2025 वास्ते तामिल हेतु नियत थी जिसमें आगामी तारीख दिनांक 15.05.2025 नियत की गई। तत्पश्चात पत्रावली योग्य अदालत मातहत में अन्तरित होने के पश्चात तारीख पेशी दिनांक 15.05.2025 को आगामी पेशी 19.05.2025 नियत की गई परन्तु न्यायालय

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में पत्रावली दिनांक 29.05.2025 को दर्ज हुई। इस बाबत् न्यायालय तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई और उसी दिन पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 25.06.2025 आदेश हेतु नियत की गई जिसके बाद प्रकरण में दिनांक 25.06.2025 को अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सबूत पेश करने हेतु अवसर दिये व बिना अपीलान्ट की हल्फीया साक्ष्य लेखबद्ध कर अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में अपीलान्ट को सुने बिना दिनांक 25.06.2025 अपीलान्ट के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्ट न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गये। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में किस खसरा नम्बर से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किया है का उल्लेख अपने निर्णय के अन्तिम पैरा में नहीं किया गया है तथा आदेश में यह दर्ज किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया है जो बोलता हुआ जजमेंट नहीं है इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 25.06.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में यह भी ये दर्ज नहीं है कि गैर सायल द्वारा कितनी लम्बाई चौड़ाई में अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ मौके का नक्शा भी संलग्न नहीं है और चारों दिशाओं की सीमा अंकित नहीं व ना ही मौके का आसा पास अंकित है। उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी कर गलत रूप से निर्णय जैर बहस पारित किया गया है। दिनांक 25.06.2025 को अपीलान्ट को बिना सुने ही अपीलान्ट के विरुद्ध एपक्षीय उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए भी अदालत मातहत द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है। कयोंकि अपीलान्ट न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गया है। उक्त आराजीयात खसरा नम्बरान 1207/179 रकबा 36.80 है0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह है जिन पर अपीलान्ट ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण करना बताया गया है वह भूमि खसरा नं0 182 की भूमि है जो खसरा नं0 1207/179 के पास स्थित है जिस पर अपीलान्ट ने पुख्ता निर्माण कर रखा है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नं0 182 के खातेदार से भूमि क्रय कर पुख्ता निर्माण किया है। इस प्रकार अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है। उक्त मामला अपीलान्ट/गैरसायल के हक में नियमन का है। इसके बावजूद अदालत मातहत ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 25.06.2025 के द्वारा अपीलान्ट/गैरसायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 25.06.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्ट गैर सायल के हक में बखूबी नियमन का मामला होने के बावजूद अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय झुंझुनूं की नियमन एवं आवंटन समिति के समक्ष भेजकर उक्त आराजीयात का नियमन बहक अपीलान्ट किये जाने हेतु सिफारिश नहीं कर व उक्त बेदखलीयाबी का आदेश पारित कर अदालत मातहत ने अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत के द्वारा पारित उक्त निर्णय मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने भी उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 25.06.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का के हल्फीया साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की अगर पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्ट को गैर सायलान अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से जिरह करके अपने केस को साबित करते परन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट को उनके हक में अदालत मातहत में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 25.06.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्ट को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांकित 25.06.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाल टाईप का निर्णय पारित कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे विवादित भूमि के खसरा नम्बर का भी उल्लेख नही किया है। अपीलान्ट अलवर का रहने वाला है जिसने चारागाह के पडौस मे जमीन क्रय की है। अपीलान्ट केवल उतनी ही भूमि चाहता है जो उसने क्रय की है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जावे। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाकर अदालत मातहत तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम कृष्ण किस्म मुकदमा 91

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

एल0आर0 एक्ट मुकदमा नं0 116/2025 में पारित निर्णय दिनांकित 25.06.2025 को मय खर्चा खारिज फरमावें व वादग्रस्त आराजियात का नियमन अपीलान्ट के हक में किया जाना फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम खटकड स्थित आराजी हाल खसरा नं0 1207/179 रकबा 36.80 है0 किस्म गैर मुमकीन चारागाह में से 0.02 है0 जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जो राजकीय भूमि है। विवादित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। विवादित भूमि की किस्म चारागाह है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। वकील अपीलान्ट के यह तर्क उचित नही है कि अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय मे अतिक्रमित भूमि की दिशा नही बताई गई है। अतिक्रमित भूमि की दिशा बताना जरूरी नही है। जहां तक जमीन अदला–बदली का सवाल है तो अपीलान्ट भूमि अदला–बदली के लिए सक्षम न्यायालय/कार्यालय मे नियमानुसार इस हेतु चाराजोही करे। अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम खटकड स्थित आराजी हाल खसरा नं0 1207/179 रकबा 36.80 है0 किस्म गैर मुमकीन चारागाह में से 0.02 है0 जमीन पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट ने अदालत हाजा के समक्ष कथन किया है कि अपीलान्ट अलवर का रहने वाला है जिसने चारागाह के पडौस मे जमीन क्रय की है। अपीलान्ट केवल उतनी ही भूमि चाहता है जो उसने क्रय की है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जावे। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकर की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 25.06.2024 निरस्त किया जाता है तथा अपील इन निर्देशों के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एवं अपीलान्ट की स्वयं की भूमि की नपति करवाकर यदि विवादित भूमि मे अतिक्रमण की पुनः जांच की जाकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ0 अरुण गर्ग )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं